

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 04 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छीतरमल

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

1. अंसारी टैक्सटाईल्स जरिये प्रोपराईटर इमरान अंसारी पुत्र अब्दुल खालीक अंसारी निवासी दुकान नं. 09, पूजा मार्केट, जोशी नर्सगी होम के पास, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर 332301
2. इमरान अंसारी पुत्र अब्दुल खालीक अंसारी निवासी स्वामी ऑयल मील के पास, वार्ड संख्या 25, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर 332301
3. खैरुनिशा पत्नी अब्बास निवासी मुगलो का मौहल्ला, वार्ड संख्या 26, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर 332301
4. अब्बास पुत्र अब्दुल गनी जाति माली निवासी मौहम्मदी मस्जिद के पास, वार्ड नं. 28, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर 332301
5. बीरबल राम पंवार पुत्र कानाराम पंवार जाति नाई निवासी ग्राम धातरी, तहसील सुजानगढ़, जिला चुरू 331505

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 17.03.25

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः अंसारी टैक्सटाईल्स, इमरान अंसारी पुत्र अब्दुल खालीक अंसारी, खैरुनिशा पत्नी अब्बास, अब्बास पुत्र अब्दुल

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

गनी एवं बीरबल राम पंवार पुत्र कानाराम पंवार की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **खैरुनिशा** के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति **दुकान(बिना छत) बावड़ी गेट, वार्ड नं. 16 फतेहपुर, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 14.22 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में अन्य दुकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में अन्य की दुकान एवं दक्षिण दिशा में बीरबलराम की दुकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 10,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये दस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **11.09.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मयं ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **11.09.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **अंसारी टैक्सटाईल्स, इमरान अंसारी पुत्र अब्दुल**


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

खालीक अंसारी, खैरुनिशा पत्नी अब्बास, अब्बास पुत्र अब्दुल गनी एवं बीरबल राम पंवार पुत्र कानाराम पंवार की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी खैरुनिशा के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति दुकान(बिना छत) बावड़ी गेट, वार्ड नं. 16 फतेहपुर, जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 14.22 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में अन्य दुकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में अन्य की दुकान एवं दक्षिण दिशा में बीरबलराम की दुकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 17.03.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर